सं.35034/3/2010-स्था (घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 03/08/ 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना के संबंध में स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 मई, 2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना के लागू होने के परिणामस्वरूप, इस योजना के पैरा 14 के आलोक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत केन्द्रीय स्वायत्त/सांविधिक निकायों को इस योजना में शामिल करने के संबंध में कई प्रस्ताव/पत्र व्यय विभाग को प्राप्त हुए हैं। व्यय विभाग ने महसूस किया है कि केन्द्रीय स्वायत्त / सांविधिक निकायों की काफी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों को अनुमोदित करने का अधिकार संबधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों को प्रत्यायोजित कर देना उपयुक्त होगा। तदनुसार व्यय विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत केन्द्रीय स्वायत्त / सांविधिक निकायों को संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना का लाभ देना अनुमोदित कर दिया है बशर्ते वे निम्नलिखित चार शर्तें पूरी करते हो :

(i) पूर्व सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना भी उक्त स्वायत्त/सांविधिक निकाय द्वारा लागू/अंगीकृत किया गया हो।

(ii) संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना शासी निकाय/निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई हो।

(iii) प्रशासनिक मंत्रालय/मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार ने प्रस्ताव को सहमति दे दी हो।

(iv) संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना अपनाये जाने की वित्तीय विवक्षाओं को संगठन/निकाय द्वारा ध्यान में रखा गया हो और अतिरिक्त वित्तीय विवक्षाएं वर्तमान बजट अनुदानों के अंदर पूरी की जा सकती हों।

2. संशोधित व्यवस्था के अनुसार, प्रस्ताव पर प्रथमतः संबंधित वित्त सलाहकार द्वारा कार्यवाई की जाएगी और इसके द्वारा उपर्युक्त (i) (ii) और (iv) में उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी करने के बाद ऐसे निकाय को संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना में शामिल करने को अनुमोदित करने के संबंध में संबंधित प्रशासनिक अध्यक्ष/सचिव के आदेश प्राप्त करेगा।

3. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नति योजना दिनांक 19.05.2009 के क्रम में उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग के ध्यान में लाया जाता है।

ए.के. श्रीवास्तव
(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय / प्रधान मंत्री कार्यालय / उच्चतम न्यायालय / राज्य सभा सचिवालय / लोक सभा सचिवालय / मंत्रिमंडल सचिवालय / संघ लोक सेवा आयोग / केन्द्रीय सतर्कता आयोग / भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक / केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान खण्डपीठ), नई दिल्ली
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
4. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
5. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग
6. सचिव, स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
7. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य
8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग स्था.III(क) शाखा को उसके आई-डी.सं. 7/13/2010-स्था.-III (क) दिनांक 18.06.2010 के संदर्भ में
9. स्थापना (घ) अनुभाग – 100 प्रतियां
10. एन आईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

ए.के.श्रीवास्तव

(ए.के.श्रीवास्तव)
अवर सचिव, भारत सरकार